

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक 391 / गोपनीय / 2023
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2023

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री विशाल रिछारिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मैहर जिला सतना के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान करता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


*(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 392 / गोपनीय / 2023
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को उनके ज्ञापन क्रमांक 421(1)/दो-12-02/70 (भाग-2), दिनांक 08-04-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 श्री विशाल रिछारिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मैहर जिला सतना को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 59/2023, दिनांक 20.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 एस.जे.ए., गोपनीय शाखा/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


*(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल